झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ .... /राँची, दिनांकः.................

प्रेषकः

ई॰ राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय : जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रू० 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़) मात्र का अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के उपक्रम झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको) को वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत रू० 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़) मात्र के अनुदान की स्वीकृत प्रदान की जाती है।
2. झारखण्ड राज्य के भौगोलिक टोपोग्राफी के आलोक में उदवह सिंचाई योजना एवं छोटी–छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण, संपोषण, संधारण तथा विकास के उद्देश्य से बिहार पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा 85 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट एरिगेशन कारपोरेशन, राँची (झालको) का गठन किया गया है। झालको को वाणिज्यिक संस्था के रूप में विकसित किया जाना है ताकि निगम अपना स्थापना भार स्वयं वहन कर सकें एवं राज्य की छोटी–छोटी योजनाओं के निर्माण के माध्यम से विकास कार्य में योगदान दे सकें। इस निगम के गठन से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या 1283 दिनांक 26.04.2005 में यह स्पष्ट किया गया है कि झालको के कर्मियों के वेतन इत्यादि का भार निगम द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पूर्व में यह परिकल्पना थी कि योजनाओं का कार्यान्वयन JHALCO द्वारा विभागीय रूप से सम्पन्न कराया जायगा तथा प्राक्कलन में सम्माहित संवेदक लाभांश की राशि JHALCO को आय के रूप में प्राप्त होगी। परन्तु पारदर्शिता के दृष्टिकोण से विभागीय पत्रांक–03 दिनांक–03.01.2017 द्वारा निर्णय ससूचित किया गया है कि JHALCO द्वारा 7% Centage के आधार पर कार्यो की निष्पादन निविदा के माध्यम से कराया जायगा।
3. इस निगम के गठन से लेकर अबतक इसे कुल रू० 158.40 करोड़ की योजनाओं का कार्यान्वयन ही सौंपा गया है। इस राशि से अधिकतम रू० 15.84 करोड़ की आय ही निगम को बनता है, जबकि निगम के कर्मियों के लिए वेतन भुगतान हेतु औसतन प्रति वर्ष रू० 4.00 करोड़ की आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि कार्यान्वयन के लिए इस निगम को सौंपी गई योजनाओं से प्राप्त आय कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है।
4. इस संस्था को कार्यान्वयन हेतु अत्यधिक कार्य इसलिए भी नहीं सौंपा जा सकता क्योंकि संस्था के पास तकनीकी पदाधिकारियों का घोर अभाव है। कुल 141 कर्मियों में से तकनीकी पदाधिकारी मात्र 13 है जो कनीय अभियंता/सर्वेयर है। वैसे भी राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छोटी–छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा पंचायतो को सौंप दिया जाय। अतः भविष्य में भी

अत्यधिक योजनाओं के कार्यान्वयन का जिम्मा इस संस्था को सौंपने की संभावना कम प्रतीत होती है।

5. उपरोक्त कारणों से निगम अपने कर्मियों को वेतन का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में अगस्त 2017 से अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है जिसके कारण कर्मियों द्वारा अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
6. प्रबंध निदेशक, झालको के पत्रांक–701, दिनांक 09.10.2017 द्वारा झालको के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि की माँग की गई है।
7. वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा झालको को पर्याप्त राशि का कार्य आवंटित नहीं किया जा सका है, जिसके कारण झालको को यथेष्ट लाभांश नहीं मिल पा रहा है।
8. उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2017–18 में झालको को रू० 5.00 करोड़ के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
9. झालको को रू० 5.00 करोड़ की अनुदान की राशि निम्नरूप से भारित किया जा सकेगा :–

(क) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई–उप मुख्य शीर्ष–01–सतही जल–लघु शीर्ष–102 लिफ्ट सिंचाई योजना–उपशीर्ष–02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको हेतु वेतन अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य'' अंतर्गत कुल रू० 250.00 लाख (रू० दो करोड़ पचास लाख) मात्र भारित होगा।

(ख) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई–उप मुख्यशीर्ष–01–सतही जल–लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–02–झारखण्ड राज्य जल संसाधन विकास समिति, एवं झालको हेतु वेतन अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य'' अंतर्गत कुल रू० 250.00 लाख (रू० दो करोड़ पचास लाख) मात्र भारित होगा।

10. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदधिकारी प्रबंध निदेशक झालको होंगे। राशि की निकासी प्रबंध निदेशक, झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। प्रबंध निदेशक, झालको आवंटित राशि को पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।
11. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) की सहमति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि गत वर्ष दी गई अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण लेने के पश्चात् ही इस राशि को विमुक्त किया जायेगा।
16. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/......................................./राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/......................................./राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, राँची, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/......................................./राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची /मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/......................................./राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग/आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/आयुक्त, पलामू प्रमंडल/आयुक्त, संथाल परगना, दुमका प्रमंडल को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/......................................./राँची, दिनांकः................

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांकः 3 पी॰एम॰सी॰/प्रशासनिक–37/12–13/ 74/17-18 प्र॰स्थै॰ ..../राँची, दिनांकः 19.01.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

19/01/2018

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियत्रण)

19/01/18